न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मानची देवी बनाम सूरजमल वगैरह दावा क्र.न.- 129/2021	

वकील वादीया एंव वकील प्रतिवादी एंव पक्षकारान् ने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीया एंव वकील प्रतिवादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को आयोजित ग्राम पंचायतः– मूण्डरू में आयोजित शिविर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

10/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– मूण्डरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
129/2021	2021/223	10.11.2021	10.11.2021

उनवान

1. नानची देवी पत्नि सुरजमल आयु 54 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी शिव कॉलोनी गुर्जर बस्ती विधाधर नगर, जयपुर राज0

वादीया

बनाम्

1. सुरजमल पुत्र रूघाराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी शिव कॉलोनी गुर्जर बस्ती विधाधर नगर, जयपुर राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री रामजीलाल मिश्रा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 2

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि [illegible] खसरा नम्बर 1834 रकबा 0.55 हैक्टर, 1835 रकबा 2.37 हैक्टर तन ग्राम गढ़टकनेत [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसके 1/2 हिस्से की वादिया काबि[illegible] खातेदार काश्तकार है। वादीया द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

10/11/21

उक्त भूमियो को क्रय किया गया उस वक्त टाईप मिस्टेक के वादिया का नाम नानची के बजाय ननछी एंव उसके पति सुरजमल का नाम सुरजमल के बजाय श्रीराम गलत दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि वादिया व उसके पति का सही एंव वास्तविक नाम नानची देवी पत्नि सुरजमल है। कृषि भूमियो मे वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड मे ननछी देवी पत्नि श्रीराम दर्ज कर रखा है जबकि वादीया का सही एंव शुद्ध नाम नानची देवी पत्नि सुरजमल है। जो राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज कर रखा है जिसको दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादीया व उसके पति प्रतिवादी नं. 1 का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की घोषणा करवाना चाहते है। वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 का समस्त सरकारी दस्तावेजात् पहचान पत्र, वोटर कार्ड आई. डी. आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक व अन्य समस्त दस्तावेजात् में वादिया का नाम नानची देवी पत्नि सुरजमल ही सही दर्ज है । वादिया व उसके पति का सही नाम खातेदारी में दर्ज नही होने से वादीया को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को भी दी जाने वाली सुख सुविधाओ से भी वादीया को वंचित रहना पड़ता है व भूमियो का समुचित विकास भी नही कर पा रहा हैं। इस कारण भी वादीया अपना व अपने पति का नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादीया ने उक्तानुसार खातेदारी में नाम दुरूस्त कराने बाबत प्रतिवादी नं. 2 से निवेदन करने पर प्रतिवादी नं. 2 ने राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती नहीं कर न्यायालय में चाराजोही करने व राजस्व रिकार्ड के दुरूस्ती के आदेश प्राप्त करने बाबत कहा गया। इसी कारण बिनाय दावा उत्पन्न होकर वादी को यह वादपत्र अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा प्रस्तुत कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें–कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1834 रकबा 0.55 हैक्टर, 1835 रकबा 2.37 हैक्टर में दर्ज ननछी देवी पत्नि श्रीराम हिस्सा 1/2 के बजाय नानची देवी पत्नि सुरजमल हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने की घोषणा फरमायी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

इस बाबत एक वादपत्र [illegible] श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 ने दौराने शिविर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत मूण्डरू में आयोजित शिविर में वकील वादीया मय पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया। जिस पर वादीया के वादपत्र

Rathore
10/11/21

को दर्ज रजिस्टर किया गया। दौराने शिविर में उपस्थित पक्षकारान् में से वादीया नानची की पहचान श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री रामजीलाल मिश्रा एडवोकेट के द्वारा की गई। उपस्थित समस्त वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकारान् ने वादपत्र में अंकित तथ्यों से अपनी पूर्ण सहमति ग्राम पंचायत मूण्डरू के मजमे–ए–आम में व्यक्त करते हुए वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादिया व उसके पति का सही नामों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने बाबत डिक्री किये जाने का निवेदन वकील वादी व वकील प्रतिवादी के द्वारा किया गया। जिस पर वादिया नानची को विक्रय लेख दिनांक 24.12.2004 में विक्रेता श्री कैलाशचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी गढ़टकनेत के द्वारा भूमि का विक्रय दिनांक 29.10.2004 को किया गया है में उनका सही नाम नानची देवी पत्नि सुरजमल सही है जिसे दुरूस्त किये जाने बाबत विक्रेता कैलाशचन्द्र ने आदेशिका पर अपनी सहमति अंकित की है। साथ ही उक्त विक्रय लेख में दूसरी क्रेता ऑची देवी पत्नि गिरधारी लाल की सह खातेदार मेरी सगी बहिन नानची देवी पत्नि सुरजमल होने तथा उसका सही नाम नानची देवी पत्नि सुरजमल होने बाबत दौराने शिविर ही आदेशिका पर सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है।

प्रकरण में हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड एंव दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की कुल दो जमाबन्दियों में अंकित खातेदारी में वादिया का नाम ननछी देवी व उसके पति का नाम श्रीराम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त दस्तावेजात् में वादिया का नाम ननछी देवी के बजाय नानची देवी व उसके पति का नाम श्रीराम के बजाय सुरजमल सही अंकित होना प्रकट होता है। उक्त नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 24.12.2004 के द्वारा दर्ज होना स्पष्ट होता है। इस बाबत समस्त पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने–अपने नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत मूण्डरू में आयोजित शिविर में राजीनामा पेश किया गया है। जिस बाबत समस्त पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एक राजीनामा भी पेश किया है जिसमें उपस्थित वादिया की पहचान वकील श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान प्रतिवादी वकील श्री रामजीलाल मिश्रा एड0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:28 IST
Reason: Self Attested

10/11/21

ने की। प्रस्तुत राजीनामा को समस्त पक्षकारान् के द्वारा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा को बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया है। प्रकरण में समस्त पक्षकारान् के आपस में सहमति व्यक्त करते हुए राजीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने से उक्त वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीया का वांद बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 1834 रकबा 0.55 हैक्टर, 1835 रकबा 2.37 हैक्टर में दर्ज ननछी देवी पत्नि श्रीराम हिस्सा 1/2 के बजाय नानची देवी पत्नि सुरजमल हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

10/11/21

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः— मूण्डरू

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— मूण्डरू के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

10/11/21

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः— मूण्डरू